

भूमिका स्वतंत्र भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के अनेक कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये। ग्रामीण विकास से सम्बन्धित इन विभिन्न कार्यक्रमों पर 1950 ई० से अब तक अरबों रुपए खर्च किया जा चुका है। अनुभव के आधार पर यह पाया गया कि विभिन्न विकास कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामों का समन्वित एकीकृत विकास नहीं हो पा रहा है। पिछड़ी जातियों के लघु किसानों, भूमिहीन श्रमिकों तथा दस्तकारों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है, उन्हें निर्धनता से छुटकारा नहीं दिलाया जा सका, उनमें व्याप्त बेकारी अभी भी उपस्थित है। साथ ही यह पाया गया कि विभिन्न विकास एजेंसियों के कार्यक्रम में समन्वय का अभाव होने के कारण साधनों का दुरुपयोग हुआ।

इसके अलावा ग्रामीणों के सम्मुख यह समस्या भी बनी रहती है कि किस सरकारी विभाग के किस कार्यक्रम को अपनाया जाए और किसे नहीं ऐसी स्थिति में एक नवीन कार्यक्रम जिसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कहते हैं। प्रस्तावित किया गया।

यद्यपि विभिन्न कार्यक्रम के द्वारा विछड़ी जातियों के रहन-सहन की दशाओं में सुधार लाने की दिशा में काफी प्रयत्न किये गये तथा इसके परिणामस्वरूप कुछ सुधार भी हुए। लेकिन शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि भारत में ग्रामीण गरीबी इतनी व्यापक और गम्भीर है कि इसके लिए बहुत विस्तृत कार्यक्रम की आवश्यकता है।

अतः ग्रामीण क्षेत्र के निर्धनतम परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने और उनकी आय बढ़ाने के साधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से 1978-79 ई०

में एक नवीन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया जिसे एकीकृत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का नाम दिया गया। ग्रामीण विकास की दृष्टि से अपनाये गये अब तक के सभी कार्यक्रमों की तुलना में यह सबसे बहुत एवं व्यावहारिक कार्यक्रम है। 2 अक्टूबर, 1980 ई० से देश के सभी 52,000 सामुदायिक विकास खण्डों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किये जा चुके हैं। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी को कम करने तथा ग्रामीण गरीबों को उत्पादन के ऐसे साधन उपलब्ध कराने पर जोर देता है, जिससे वे सदैव के लिए गरीबी रेखा से उपर उठ सकें। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि सभी प्राकृतिक साधनों का श्रेष्ठ उपयोग करने हेतु अधिक विस्तृत एवं क्रमबद्ध वैज्ञानिक तथा समन्वित तरीकों को अपनाने पर जोर देता है।

साथ ही यह प्रत्येक व्यक्ति को समानोपयोगी तथा उत्पादक व्यवसायों में इस प्रकार लगाने योग्य बनाना चाहता है कि वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त आय कमा सकें।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परम्परागत सिद्धान्तों, व्यवहारों तथा प्राथमिकताओं को काफी कुछ बदला गया है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्राम विकास सम्बन्धी बिखरे हुए कार्यक्रमों को समन्वित करने का एक व्यापक कार्यक्रम है। "समन्वित ग्रामीण विकास" नामक अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम विश्व बैंक के द्वारा एक अध्ययन के दौरान किया गया। इसका प्रयोग इस अर्थ में किया गया कि ग्रामीण जीवन का इस प्रकार से विकार किया जाए कि ग्रामीणों का

सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन समन्वित रूप से उन्नत हो सके।

डॉ० के. आ. बी. राव के अनुसार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के प्राकृतिक एवं मानवीय स्रोतों का अधिकतम उपयोग करके ग्रामीणों के जीवन-स्तर में सुधार लाने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। इस कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. पूर्ण रोजगार एवं भौतिक साधनों के विकास के लिए एक निश्चित कार्यक्रम बनाना जो कि उत्पादन बढ़ाने में समर्थ हो।
2. कृषि पर जनसंख्या के दबाव को घटाने के लिए करीब 7.5 करोड़ बेकार लोगों को काम देने के उद्देश्य से कृषि औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना करना।
3. समाज की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उत्पादकता एवं कार्य क्षमता के न्यूनतम प्रभाव निर्धारित करना।
4. भूमि और बल-साधनों के पर्याप्त विकास हेतु समुचित प्रयास और कार्य-स्तर निर्धारित करना।
5. ग्रामीण जनता की कार्य व चिन्तन संबंधी परम्परागत धाराओं को वैज्ञानिक प्रवृत्तियों में बदलना।
6. कार्यक्रम का एक मुख्य लक्ष्य गांव के अत्यधिक निर्धन परिवारों का चयन करके उनके आय को बढ़ाना, उन्हें आत्म-निर्भर बनाना तथा आर्थिक असमानताओं को कम करना है।
7. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य भूमि जल तथा धूप के अच्छे उपयोग पर आधारित कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाना तथा दूसरी ओर देश के सभी विकास खण्डों में जनसंख्या के दुर्बल

वर्गों के लिए संसाधन तथा आय की वृद्धि करने के लिए एक एकीकृत कार्यनीति तैयार करना है। ग्रामीण गरीबों की स्थिति में सुधार लाने के लिए लक्ष्य यह रखा गया कि जिनके पास कुछ भू-सम्पत्ति है, उनके लिए पानी, उन्नत बीज उर्वरकों की व्यवस्था की जाए ताकि भूमि की उत्पादकता को बढ़ावा दिया जा सके। पशुपालन, डेयरी उद्योग, वन उद्योग आदि के माध्यम से कृषि क्षेत्र में विविधता लाने पर जोर दिया गया। इसके परिणाम भूमिहीन व भू-स्वामी दोनों के लिए लाभप्रद है।

8. ग्रामीण गरीबों में अधिकतर भूमिहीन किसान या सीमान्त किसान है। इसके उत्थान के लिए इन्हें आर्थिक सहायता दी जाए ताकि ये उत्पादक सम्पत्तियाँ प्राप्त कर सकें। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में स्व-रोजगार एवं मजदूरी की पर्याप्त क्षमता है। गरीबी उन्मूलन हेतु इन क्षेत्रों पर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष जोर दिया गया है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की समस्त भौगोलिक क्षेत्रों को राज्यों में, राज्यों की जिलों में तथा जिलों को ब्लॉकों अथवा खण्डों में विभाजित किया गया है। राज्य-स्तर पर कार्यक्रम का कार्यान्वयन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समन्वय समिति द्वारा किया जाता है। जिला-स्तर पर कार्यक्रम को अमल में लाने की जिम्मेदारी डी. आर. डी. ए. में एक फूल-टार्म प्रोजेक्ट डायरेक्टर और कृषि पशुपालन तथा सम्बन्धित क्षेत्रों के विशेषज्ञ असिस्टेंट प्रोजेक्ट अवसर होते हैं। प्रत्येक डी. आर. डी. ए को नियोजन दल की सेवायें भी उपलब्ध होती है। प्रत्येक नियोजन दल में एक अर्थशास्त्री, ऋण

नियोजन अधिकारी एवं ग्रामीण उद्योग अधिकारी होता है।

प्रखण्ड-स्तर पर ब्लॉक विकास पदाधिकारी, प्रसार अधिकारी और ग्राम-स्तर के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम को अमल में लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। डी. आर. डी. ए. को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह सहायता के योग्य परिवारों की पहचान कर उनके उत्थान के लिए उचित आर्थिक स्कीम तैयार करें। पहचान किये गये परिवारों को डी. आर. डी. ए. आर्थिक अनुदान प्रदान करती है तथा बैंको, और अन्य वित्तीय संस्थाओं से सिफारिश करके इन परिवारों को ऋण उपलब्ध कराती है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 ई0 में 2,000 चुने हुए ब्लॉक में आरम्भ किया गया। 2 अक्टूबर, 1980 में इसका सारे देश में प्रसार हो गया। सारे देश को 5047 प्रखण्ड में बांटा गया। उस दिन से ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रम जैसे छोटे किसानों की विकास एजेन्सी आदि को इसमें मिला दिया गया था। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लॉक में प्रति वर्ष 600 परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। इस प्रकार छठी योजना के दौरान प्रत्येक ब्लॉक में 300 परिवारों को आर्थिक सहायता पहुँचाने का लक्ष्य था। राष्ट्र-स्तर पर प्रति वर्ष 30 लाख परिवारों को तथा छठी योजना के पाँच वर्षों के दौरान 50 लाख परिवारों को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। छठी योजना में इस कार्यक्रम के लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जिसमें 50 प्रतिशत राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा और शेष राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध करवायी जानी थी। बैंको से 3,000 करोड़ रुपये की राशि के ऋण उपलब्ध होने की आशा थी। सतवीं योजना में यह स्वीकार किया गया कि इतने बड़े

आकार का कार्यक्रम जिसमें अनेक नाजुक प्रान्वत थे और जो अत्यन्त विविधापूर्ण वातावरण में चलाया जा रहा था। बहुत कम तैयारी के साथ शुरू किया गया।

छठी योजना को परीक्षण की अवधि कहा गया जिसके दौरान ये कार्यक्रम धीरे-धीरे प्रकाश में आया। जिन कमजोरियों का अनुभव किया गया उन्हें सातवीं योजना में सुधारने की कोशिश किया गया ताकि यह कार्यक्रम गरीबी घटाने का कारगर साधन बन सके। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों की प्रक्रिया पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया।

विस्तृत पारिवारिक सर्वेक्षण

स्थानीय समुदाय को कार्यक्रम के साथ अधिक से अधिक जोड़कर विस्तृत पारिवारिक सर्वेक्षण किया गया। इसके दो उद्देश्य थे:-

एक तो, उन्हें पहचानना जिन्हें छठी योजना में पहले ही सहायता प्राप्त कर लेने के बाद भी आर्थिक व्यावहार्यता प्राप्त करने के पूरक के लिए सहायता की आवश्यकता थी और दूसरे, गरीबी समूह के सबसे नीचे उन लोगों को पहचानना जिन्हें अभी तक लाभ नहीं पहुँच पाया था।

1994-95 ई0 तक गरीबी अनुपात को कम करके 10 प्रतिशत तक लाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर सातवीं योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति वर्ष 10 लाख परिवारों को आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य रखा गया। उन परिवारों को एक मुस्त 6,600/= रुपये प्रति परिवार के हिसाब से आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया। प्रत्येक परिवार को दी जाने वाली आर्थिक अनुदान की राशि की उच्च सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया जबकि प्रत्येक परिवार को दी जाने वाली राशि जो कि छठी योजना के दौरान औसतन 1,000/= रुपये थी, सातवीं योजना में बढ़ कर 1,333/- रुपये दर कर दी गई, जिससे कि

लाभार्थियों को अपने जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त आय उपलब्ध हो। सातवीं योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के वास्ते 3,474 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इसमें 1,864 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार का योगदान तथा 1,610 करोड़ रुपये राज्य सरकारों के योगदान के रूप में था। कुल व्यवस्थित राशि में 1,889 करोड़ रुपये आधार अनुदान के लिए और 488.50 करोड़ रुपये आधार संरचना के लिए छोड़े गये थे। बैंकिंग क्षेत्र से लगभग 4,000 करोड़ रुपये का ऋण जुटाने व सरकारी समितियों से भी कुल ऋण का उचित प्रतिशत जुटाने का प्रावधान था।

आठवीं योजना (1990-95 ई०) के पहले वर्ष अर्थात् 1990-91 ई० सत्र के लिए उतने ही वित्तीय साधनों का प्रावधान किया गया जितना कि पिछले वर्ष अर्थात् 1989-90 ई० के लिए किया गया था।

इस वर्ष 19.94 लाख परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया जबकि लाभार्थियों में महिलाओं के अनुपात को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया। हालांकि राष्ट्रीय-स्तर पर कार्यक्रम की प्रगति संतोषजनक रही किन्तु विभिन्न राज्यों में भारी विषमता देखने को मिली है।

कार्यक्रम की कमियां

किसी भी अच्छी से अच्छी योजना में कुछ ऐसी कमियां या दोष रह जाती हैं जो उसकी सफलता को संदिग्ध बना देता है। यही बात समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संबंध में भी सही पायी गयी। इसकी निम्नलिखित कमियां थी। -

1. इस कार्यक्रम में जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए था, उनके संबंध में सही जानकारी वास्तव में नहीं मिल पायी। निर्धन परिवार तक कार्यक्रम का लाभ नहीं पहुँच पाया तथा

अधिकारियों एवं प्रभावशाली नेताओं को इसका लाभ मिला।

2. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सही लाभार्थियों अर्थात् निर्धनतम परिवारों का चयन नहीं हो पाया। इसका कारण यह है कि जब ग्राम-सेवक निर्धनतम परिवारों का चयन करता है तो उस समय उस पर सरपंच तथा अन्य प्रभावी लोगों का दबाव पड़ता है जिसके परिणाम स्वरूप वह सही परिवारों का चयन नहीं कर पाता है।
3. इस कार्यक्रम की सफलता में सरकारी आंकड़े एक बहुत ही बड़ी बाधा थी। कई बार अधिकारी किसी कार्यक्रम की सफलता को आंकड़ों में इस प्रकार बढ़ा-चढ़ा पाते। परिणामस्वरूप वे उसका सही लाभ नहीं उठा पाते हैं।
4. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले परिवारों को बैंकों से ऋण एवं सरकारी सहायत प्राप्त करने के लिए काफी कुछ खर्च करना पड़ता है। बैंक वालों को तथा अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ती है। जिसके कारण कार्यक्रम का जितना लाभ निर्धन परिवारों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। कार्यक्रम की सफलता के आधार इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है कि इसमें इस प्रकार परिवर्तन किया जाए कि इसका लाभ गांवों के सबसे अधिक निर्धन परिवारों को ही मिले। उपरोक्त कमियों को देखते हुए स्वयं केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि सातवीं योजना में इस कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन किया जाना है, जो इस प्रकार है:-
1. ऋणों तथा आर्थिक सहायता को गरीबी की मात्रा को ध्यान में रखकर बांटा जाए न कि

प्रत्येक विकास खण्ड के लिए एक निर्धारित राशि के रूप में।

2. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले जिन परिवारों को पर्याप्त सहायता नहीं दी गयी, उन्हें अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाए।
3. कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले नये परिवारों को इतना ऋण व आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाए कि वे अपनी आय को बढ़ाकर गरीबी रेखा से उपर उठ सकें।
4. लाभार्थियों के चयन में विशेष सावधानी रखी जाए ताकि निर्धन एवं पिछड़े परिवारों का चयन सही तरीके से हो पाये।
5. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों को ऋण व आर्थिक सहायता इतनी मात्रा में अवश्य दी जाए कि वे स्वरोजगार प्रारम्भ कर सकें।
6. लाभार्थियों को ऋण तथा आर्थिक सहायता प्रदान करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया को सफल बनाने की आवश्यकता है ताकि वे लोग बैंक व अधिकारियों के बार-बार चक्कर नहीं लगायें।
7. कार्यक्रम की सफलता के लिए समय पर इस बात की जांच भी करना आवश्यक है कि जिसे रोजगार के लिए आर्थिक सुविधाएँ प्रदान की गयी है, वह रोजगार ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं।
8. इस कार्यक्रम की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि स्वयंसेवी संगठनों को योजना को बनाने तथा उसे क्रियान्वित करने में पूरा सहयोग लिया जाए। संक्षेप में मैं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास का केन्द्र बिन्दु बन चुका है। ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए यह एक अद्वितीय प्रयास है।

निःसन्देह यह कार्यक्रम सही दिशा में है। इस समय केवल आवश्यकता इस बात की है कि कार्यक्रम से सम्बन्धित जिन कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया है, उनमें सुधार किया जाये। उद्देश्य यह होना चाहिए कि जिस भी परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए उस परिवार के लिए एक ऐसी स्थाई आय अर्जित करने वाली परिसंपत्ति का निर्माण हो जाना चाहिए, जिससे परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो सके।

भारत में योजना आयोग द्वारा सन् 1977 ई0 में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 48 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्रों में 41 प्रतिशत व्यक्ति निर्धनता की सीमा रेखा के नीचे रहकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनमें 86 प्रतिशत व्यक्ति इतने अधिक निर्धन थे कि वे एक माह में औसतन 28 रुपये से 43 रुपये तक ही व्यय करने की क्षमता रखते थे। निर्धनता का अर्थ है सामान्य धन की आवश्यकताएँ जुटाने के लिए साधनों का अभाव।

निर्धनता की स्थिति का सही-सही अनुमान लगाना शायद सम्भव नहीं है। किन्तु समय पर ऐसे प्रयत्न किए गए हैं, जिनसे इस समस्या के उग्र स्वरूप का ध्यान हो सकता है। विभिन्न प्रयासों में गरीबी की रेखा निर्धारित करने के प्रयत्न किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत निम्न माप-दण्डों का प्रयोग किया गया है:—

क. निर्वाह के लिए न्यूनतम पौष्टिकता का स्तर।

ख. पौष्टिकता के इस स्तर को बनाए रखने के लिए न्यूनतम खुराक की लागत।

ग. इस खुराक को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय।

उपरोक्त मापदण्डों के आधार पर अनेक विद्वानों जैसे डॉ० हैदर व रथ वी. एस. सिन्हाल, प्रणव बर्धन, पी. डी. औसा आदि तथा योजना आयोग ने भारत में निर्धनता के सम्बन्ध में अनुसार प्रस्तुत किये हैं। सन् 1977 ई० में योजना आयोग द्वारा स्थापित न्यूनतम आवश्यकताओं व प्रभावपूर्ण उपयोग की मांग पर भावी अनुमानों के लिए कार्यकारी दल ने निर्धनता की रेखा की परिभाषा में प्रति व्यक्ति उपभोग समूह का वह मध्य बिन्दु माना है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी का उपभोग हो तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी का हो। 1984-85 में यह मध्य बिन्दु ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह 107/ = रुपया तथा शहरी क्षेत्रों में 122/ = रुपये थे। इसके नीचे प्रति व्यक्ति प्रति माह का उपभोग करने वाले व्यक्ति निर्धन माने गए हैं।

निष्कर्ष

इसी प्रकार पांच सदस्यों वाले एक ऐसे ग्रामीण परिवार को गरीबी की रेखा के नीचे माना गया, जिसकी वार्षिक आय 6,400/ = रुपये से कम थी। इस आधार पर देश की आठवीं योजना के बाद आरम्भ में 272.7 मिलियन व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे रहते थे, जो कि कुल जनसंख्या का 36.9 प्रतिशत था। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का अनुपात 39.9 प्रतिशत था, जबकि शहरी क्षेत्रों में 27.7 प्रतिशत। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार गरीबी की संख्या 222.2 मिलियन थी, जिनमें प्रमुखतः भूमिहीन व छोटे किसान, दस्तकार, बन्धुआ मजदूर व कृषि श्रमिक जुड़े थे, जो अधिकांशतः पिछड़ी जातियों के थे। ग्रामीण निर्धनता की इस जटिल समस्या का समाधान करने के लिए समय पर अनेक ऐसी योजनाएँ लागू की गयी, जिनके द्वारा गांव के अत्यधिक निर्धन

व्यक्तियों को अपने गांव अथवा निकटवर्ती क्षेत्रों में ही रोजगार सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सके।

संदर्भ सूची :-

1. डॉ. कुमारप्पा भारतन, कैपिटलिज्म, सोसलिज्म ऑफ विलेसिज्म, पृ.-सं.-184-1947.
2. मूर्ति बी.बी. रमन्ना, नान वायलेंस इन पालिटिक्स पृ. - 88.
3. ईश्वर धींगरा, भारत में ग्रामीण विकास, "ग्रामीण अर्थशास्त्र" सुलतान चन्द्र एण्ड सन्स, 1971 ई पृ. -3.
4. ग्रामीण विकास कार्यक्रम- एक रूपरेखा "कुरुक्षेत्र" 1995 ई., पृ.-36.
5. ग्रामीण विकास एवं गांधीवाद, "कुरुक्षेत्र", 1996 ई., जुलाई, पृ.सं. -16.
6. गाँव एवं विकास योजना, "योजना" 1996 ई., जून, पृ.सं. -4.
7. "विश्व बैंक रिपोर्ट" भारत, 1996 ई., पृ.सं. 136.
8. ईश्वर धींगरा, उपरोक्त, पृ.-4.
9. गाँधीजी का रामराज्य, "कुरुक्षेत्र" जुलाई 1995 ई० पृ.सं.-42.
10. गाँव एवं आर्थिक विकास, "कुरुक्षेत्र" मई 1995 ई० पृ.सं.-16.
11. ईश्वर धींगरा, "भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था" ग्रामीण अर्थशास्त्र, पृ.सं.- 1-6.
12. ईश्वर धींगरा, भारत में ग्रामीण विकास" ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पृ.सं.-8.
13. अग्रवाल एवं पाण्डेय, "सामुदायिक विकास कार्यक्रम" ग्रामीण समाजशास्त्र, पृ.सं.-305.
14. ईश्वर धींगरा, उपर्युक्त, पृ-17.
15. वही, पृ.-17.
16. वही, पृ.-133.
17. "भारत में पंचायतीराज", "कुरुक्षेत्र" जुलाई 1995 ई० पृ.सं. -21